प्रेषक,

मुख्य चिकित्सा अधिकारी
फतेहपुर।

सेवा में,

जिला पंचायती राज अधिकारी
फतेहपुर।

पत्रांक : मु0चि0अ0/एन0टी0सी0पी0/2020-2021 1280 दिनांक-10.08.2020

विषय : 15 अगस्त 2020 स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर जनपद फतेहपुर के ग्राम पंचायतों को तम्बाकू मुक्त के घोषणा व कोविड-19 महामारी के संक्रमण के रोकथाम हेतु पंचायत स्तर की बैठकों व कार्यालयों में धूम्रपान, पान मसाला, सिगरेट, खैनी व अन्य तम्बाकू उत्पादों के उपयोग एवं थूकने पर प्रतिबन्ध लगाये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें उत्तर प्रदेश लखनऊ के पत्रांकसंख्या राज्य तम्बाकू नियंत्रण प्रकोष्ठ/2020-21/8461 23.06.2020 कोविड-19 एवं इसके संक्रमण से रोकथाम हेतु पंचायत स्तर की बैठक व कार्यालयों में धूम्रपान, मसाला, गुटखा और अन्य तम्बाकू उत्पादों के उपयोग एवं थूकने पर प्रतिबन्ध लगाये जाने विषयक एवं पूर्व में मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश के शासना आदेश 786/तीन-18-06(9)18 दिनांक 12 अक्टूबर 2018 द्वारा प्रदेश के समस्त शासकीय प्रतिष्ठानों के मुख्यालयों,सरकारी प्रतिष्ठानों एव स्थानीय कार्यालयों में धूम्रपान, मसाला, गुटखा और अन्य तम्बाकू उत्पादो के प्रयोग को पूर्णतः प्रतिबंधित किया जा चुका है तथा पूर्व मे भी माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश द्वारा सभी सरकारी प्रतिष्ठानो मे तबाकू एवं पान मसाला के उपयोग को पूर्णतयाः प्रतिबंधित करने के निर्देश दिये जा चुके है।

आपको अवगत कराना है कि धूम्रपान, मसाला, गुटखा और अन्य तम्बाकू उत्पाद स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाने के साथ हमारे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को कम करते हैं तथा थूकने हेतु प्रेरित करतें है जिससे कोविड-19 का संक्रमण के फैलने का खतरा बढ़ता है।

अतः कोरोना महामारी को घ्यान में रखते हुए आपसे अपेक्षा की जाती है कि जनपद के समस्त जिला पंचायतों क्षेत्रों पचायतो व ग्राम पंचायतों की बैठको व कार्यालयों मे धूम्रपान, पान-मसाला, खैनी आदि सभी प्रकार के तबाकू उत्पादों के उपयोग तथा पान मसाला, गुटखा इत्यादि खाकर थूकने पर पूर्ण प्रतिबन्धित कोटपा अधिनियम 2003 के अर्न्तगत जुर्माना वसूल करने का निर्देश दें व जनपद की प्रत्येक विकस खण्ड की 5 ग्राम पंचायतो में तम्बाकू मुक्त घोषित करने हेतु आदेशित करें। । पत्र के साथ घोषणा पत्र सलग्न है घोषणा पत्र के अनुसार सूचना मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

10-08-2020
नोडल अधिकारी
तम्बाकू नियन्त्रण कार्यक्रम
फतेहपुर

भवदीय

मुख्य चिकित्सा अधिकारी
फतेहपुर

पत्रांक : मु0चि0अ0/एन0टी0सी0पी0/2020-2021 दिनांकित

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु –

1.प्रमुख सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ, उ0प्र0 भासन को अवलोकनार्थ प्रेषित।
2.मिशन निदशक राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन,उ0प्र0 लखनऊ।
4.राज्य नोडल अधिकारी राज्य तम्बाकू नियंत्रण प्रकोष्ठ उत्तर प्रदेश लखनऊ को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
5.निदेशक, पंचायती राज विभाग, उ0प्र0 लखनऊ ।
6.जिलाधिकारी महोदय फतेहपुर।
7.पुलिस अधीक्षक, फतेहपुर को इस अनुरोध के साथ प्रेषित की आप अपने अधीनस्थ पुलिस बल को उक्त के सम्बन्ध में उचित कार्यवाही हेतु निर्देशित करने का कष्ट करें।
8.मुख्य विकास अधिकारी, फतेहपुर।
9.अधिशाषी निदेशक यू0पी0वी0एच0ए0, लखनऊ।

नोडल अधिकारी
तम्बाकू नियन्त्रण कार्यक्रम
फतेहपुर

भवदीय

मुख्य चिकित्सा अधिकारी
फतेहपुर